Method of recruitment whether by direct recruitment promotion or deputation / absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for Confirmation consisting of :— 1. Chief Administrative Officer, Central Water and Power Research Station, Pune - Chairman 2. Scientist 'B' Central Water and Power Research Station, Pune - Member 3. A Group 'A' Officer from any other Central Government Department - Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/41/2017-E.II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 410.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे (सुरक्षा अधिकारी, समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में सुरक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सुरक्षा अधिकारी, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सुरक्षा अधिकारी	2 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए, अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2** : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	**न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव :** **सीधी भर्ती :** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य । भूतपूर्व सैनिकों, भूतपूर्व पुलिस और भूतपूर्व केन्द्रीय अर्ध-सैनिक कार्मिक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य । **अनुभव (भूतपूर्व सैनिकों के लिए)** : कनिष्ठ कमीशन प्राप्त आफिसर से नीचे न हो या समतुल्य या अनायुक्त आफिसर के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो या समतुल्य ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति और पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1 अपर निदेशक/वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -अध्यक्ष 2 वैज्ञानिक 'डी', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे -सदस्य 3 अन्य केन्द्रीय सरकार, मंत्रालय / विभाग से समूह 'क' अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/42/2017-ई.II]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

New Delhi, the 10th November, 2017

G.S.R. 410.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune (Security Officer Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Security Officer in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, namely:-

1. These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Security Officer, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in pay matrix.—**The number of said post, its classification and its level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Security Officer	2* (2017) * subject to variation dependent on workload	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 04 in pay matrix (Rs.25500-81100).	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2 :** In the case of recruitment made through Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Minimum qualifications and experience :- **Direct Recruits**: Graduation from a recognized University or equivalent. For Ex-Servicemen, Ex-Police and Ex-Central Para-Military Personnel: Graduation from a recognised University or equivalent. Experience (for Ex-Servicemen): Not below Junior Commissioned Officer or equivalent or having 5 years experience as Non-Commissioned Officer or equivalent.

Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or promotion or deputation or absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Two years	By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion and Confirmation Committee, consisting of:- 1. Additional Director/ Scientist 'E', Central Water and Power Research Station, Pune -Chairman 2. Scientist 'D', Central Water and Power Research Station, Pune –Member 3. Group 'A' officer from other Central Government, Ministry/Department – Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/42/2017-E.II]

R. N. DIXIT, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2017

सा.का.नि. 411.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रोग्रामक) भर्ती नियम, 1986 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रोग्रामक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड (प्रोग्रामक) भर्ती नियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में , नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायगा, अर्थात:--

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है" |

3. उक्त नियमों की अनुसूची में**,** स्तंभ (4) में**,** स्तम्भ शीर्ष और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तम्भ शीर्ष और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्**:--**

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10(56100 रु.).".

[फा. सं. 31011/06/2017- जी डब्ल्यू ई]

आर. एन. दीक्षित, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र**,** अधिसूचना संख्या, सा.का.नि. 576**,** तारीख 02/08/1986 द्वारा प्रकाशित किये गए थे।